न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला गंगापुरसिटी
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
22/2021	26.2.2021	22.11.2024

अंगूरी देवी पत्नी स्व0 रामसिंह, मीना निवासी गद्दी मिर्जापुर गंगापुर सिटी
—वादिया

वनाम

1. बच्चूसिंह पुत्र मेवल्याराम, मीना निवासी राधेकी तहसील वामनवास
2. रामसिंह पुत्र रामसहाय, मीना निवासी चौकीदार मोहल्ला, कैलाश टाकीज के पास, गंगापुर सिटी
3. लक्ष्मीचन्द पुत्र मेवल्याराम, मीना निवासी राधेकी तहसील वामनवास
4. तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा विभाजन भूमि, घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 1, 3 की ओर से
श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से

निर्णय

वादिया ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि स्वर्गीय जितेन्द्र की माता वादिया अंगूरी देवी बेवा स्वर्गीय रामसिंह है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्र की मृत्यु के पश्चात् व मृतक की पत्नि के लापता होने पर सम्पूर्ण अधिकार माता में समाहित हो जाते हैं। स्वर्गीय जितेन्द्र का सन् 2013 में मर्डर हो गया था। सन् 2014 में स्वर्गीय जितेन्द्र की पत्नी लाली देवी अपनी दोनों सन्तानों नाबालिग तुषार व नाबालिग सिमरन को अपने साथ लेकर कहीं चली गई है। जिनका वाद पेश करने तक कोई पता नहीं है। लाली देवी के जाने के बाद से ही वादिया खसरा नम्बर 677/488 रकबा 1.09 है0 में अपने हिस्से को काश्त कर लगान अदा करती आ रही है। अब वादिया ही उक्त हिस्से की स्वामिनी कब्जेशुदा हकदार है। दीगर व्यक्ति का कोई हक नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 भूमाफिया एवं सरगना किस्म के व्यक्ति हैं जो सम्पूर्ण खसरा नम्बर 677/468 रकबा 1.09 है0 पर कब्जा कर इसमें रास्ता निकालने पर उतारू हैं। प्रतिवादीगण ने खसरे में गिट्टी पत्थर डाल दिए हैं। उक्त भूमि को खुर्दबुर्द करने को उतारू हैं जबकि रिकार्ड में वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। सम्पूर्ण भूमि संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है जो पैत्रक होने के कारण राजस्व रिकार्ड के अनुसार इसका विभाजन होना आवश्यक है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि खसरा नम्बर 677/468 रकबा 1.09 है0 ग्राम ब्रह्मवाद तहसील गंगापुर सिटी में वादिया अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं रेवेन्यू रिकार्ड में दुरूस्ती फरमाई जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज०)

आराजी खसरा नम्बर 677/468 रकबा 1.09 है0 ग्राम ब्रह्मवाद तहसील गंगापुर सिटी में कोई रास्ता नहीं निकालें व उक्त भूमि को रहन वय नहीं करें तथा जमाबंदी से लाली देवी नाबालिग तुषार व नाबालिग सिमरन का नाम हजफ कर वादिया का नाम दर्ज कर रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलव किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने अपने जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम में अंकित किया है कि वादिया अंगूरी देवी को दावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 677/468 रकबा 1.09 है0 ग्राम ब्रह्मवाद तहसील गंगापुर सिटी ओमप्रकाश पुत्र हजारीलाल जाति मीना निवासी जयसिंहपुरा तहसील लालसोट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी। इसमें ओमप्रकाश का 1/2 हिस्सा था। ओमप्रकाश ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपने हिस्से की भूमि दिनांक 27.7.2007 को विक्रय कर अपने पूर्वी दक्षिणी हिस्से पर जबाबदारान बच्चूसिंह, लक्ष्मीचन्द को कब्जा करा दिया। इस भूमि पर जबाबदारान बच्चूसिंह, लक्ष्मीचन्द ने भूमि खरीद के बाद अपने हिस्से की भूमि पर चारो तरह 7 फीट ऊंची बाउन्ड्री कर ली। जिसका सीमाज्ञान मिन जबाबदारान द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी से करवाया गया। बाउन्ड्रीशुदा भूमि में खसरा नम्बर 677/468 रकबा 1.09 है0 हिस्सा 1/2 के साथ मिन जबाबदार लक्ष्मीचन्द के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 592 रकबा 0.15 है0 शामिल है। तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा जबाबदारान को करवाए गए सीमाज्ञान के अनुसार उस समय ही नींव खोदकर बाउन्ड्री कराई गई जिस पर आज भी जबाबदारान का कब्जा चला आ रहा है। इसी अनुसार भूमि का विभाजन कर रिकार्ड में अमल किया जाना आवश्यक है। अतः जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर ग्राम ब्रह्मवाद में स्थित भूमि ख0नं0 677/468 रकबा 1.09 है0 का खातेदारान के मध्य उनके हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन कर प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम भूमि ख0नं0 677/468 रकबा 1.09 है0 के पूर्वी दक्षिणी 1/2 हिस्से पर नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड में अमल दर्ज फरमावें।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वादिया एवं वादिया के अभिभाषक दिनांक 13.7.2022 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इस कारण वादिया का दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:41 IST
Reason: Self Attested

काउन्टर क्लेम के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 ग्राम ब्रह्मवाद प्रदर्श–1, नकल फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 4.11.2007 प्रदर्श–2, फोटोकोपी विक्रयपत्र दिनांक 27.7.2007, दिनांक 23.11.2007 प्रस्तुत किए गए हैं एवं प्रतिवादी बच्चूसिंह के बयान कराए गए हैं।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

अंगूरी देवी बनाम बच्चूसिंह वगैरा, मय

प्रतिवादीगण के अभिभाषकगण की बहस सुनी जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का काउन्टर क्लेम दिनांक 21.12.2022 को स्वीकार करते हुए तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई, जो दि0 26.9.2024 को इस न्यायालय में प्राप्त हुई है।

विभाजन स्कीम पर प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया। प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषगण तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन कर पृथक पृथक खातेदारी दर्ज करने पर सहमत हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है–

1. खातेदार बच्चूसिंह पुत्र मेवल्या, मीना निवासी राधेकी तहसील बामनवास, लक्ष्मीचन्द पुत्र मेवल्या, मीना निवासी राधेकी तहसील बामनवास की खातेदारी में भूमि ख0नं0 677/468/1 रकबा 0.5450 हे0 ग्राम ब्रह्मबाद रहेगी।

2. खातेदार रामसिंह पुत्र रामसहाय, मीना निवासी चौकीदार मोहल्ला, कैलाश टाकीज के पास, गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 677/468/2 रकबा 0.40875 हे0 ग्राम ब्रह्मबाद रहेगी।

3. खातेदार लाली देवी पत्नी स्व0 जितेन्द्र, नाबालिग तुषार पुत्र स्व0 जितेन्द्र संरक्षक माता लाली देवी, नाबालिग सिमरन पुत्री स्व0 जितेन्द्र संरक्षक माता लाली देवी, मीना निवासी गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि खसरा नम्बर 677/468/3 रकबा 0.13625 हे0 हिस्सा बराबर ग्राम ब्रह्मबाद रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में पक्षकारों के नाम भूमि पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज की जावे व पृथक पृथक लगान कायम किया जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:41 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)